Limited Stop Bus Service

1512. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that buses on Route No. 860 are overcrowded especially during office hours resulting in eve-teasing and pick--pocketing;

(b) what is the frequency of buses on that route and the number of trips missed during the last one month; and

(c) whether Government propose to start Limited Stop Service from Group Housing Societies area (Krishi Apartments, Vikas Puri) to Central Secretariat and back during office hours for convenience of office goers?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) The buses operating on route No. 860 are with full load during office hours. No case of eve-teasing and pick-pocketing has been reported to DTC.

(b) The frequency of this route is 14/28 minutes. 441 trips out of 2760 had been missed during the month of june, 1991.

(c) DTC is already operating four Ltd. stop trips in morning from C&F Block Vikas Puri/Budhela Village/DESU Office to Central Sectt. and five evening trips Central Sectt./Udyog Bhavan to Vikas Puri. There is no proposal to start new Limited Stop Service from Group Housing Societies area (Krishi Apartments) Vikas Puri to Central Sectt. and back due to fleet constraints.

बिना बारी के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों का मंजूर किया जाना

1513. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1990 से 31 अक्तूबर, 1990 के बीच सरकार द्वारा बिना बारी के आवंटित टेलीफोनों की भी सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) 1 जून, 1990 से 15 जून 1990 के बीच बिना बारी के दिये गये टेलीफोनों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने टेलीफोनों को अभी लगाया जाना बाकी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) इस अवधि में बिना बारी के 347 टेलीफोन कनेक्शनों की मजूरी दी गई। इन टेलीफोनों की वास्तविक संस्थापना से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का नाजायज ढंग से लिया जाना

1514. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बहुत सारे लोग नाजायज ढंग से स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन ले रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार पिछले पांच वर्षों के दौरान इस प्रकार दी गई पेंशन के मामलों की जांच कराने का विचार रखती है :

(ग) पेंशन मंजूर किये जाने की अंतिम तारीख क्या है ; और

(घ) क्या सरकार उन स्वाभिमानी स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देगी जो स्वाभिमानवश इसके लिये आवेदन नहीं करते और क्या सरकार ने कभी स्वत: प्रेरित स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने हेतु, सीमित

बनाई थी ; यदि हां, तो क्या उस समिति का कोई अस्तित्व शेष है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) (क) बिहार में कुछ लोगों द्वारा नाजायज ढंग से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लेने की कथित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों की राज्य सरकार और/अथवा केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा जांच पड़ताल की जाती हैं यदि आरोप सही साबित होते हैं तो पेंशन रद्द की जाती हैं.

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तारीख 31.3.1982 थी । तथापि, पेंशन, मंजूर कराने के लिए कोई भी अंतिम तारीख निर्धारित नहीं की गई थी ।

(घ) जिन व्यक्तियों ने पेंशन की मंजूरी के लिए औपचारिक रूप से आवेदन पत्र नहीं भेजे थे, उन्हें जनवरी, 1991 में एक बार और स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर की गई । ऐसी पेंशन की मंजूरी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई, जिसके सदस्य कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे । सरकार का इस प्रकार से एक बार पुनः पेंशन देने का कोई विचार नहीं है ।

पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ में तेजी

1515. **श्री शांति त्यागी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कई महीनों के दौरान पंजाब में आतंकवादियों और कश्मीर में उग्रवादियों की घुसपैठ की गतिविधियों में तेजी आयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) क्या यह सच है कि कश्मीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इन्टेलीजेंस और पाकिस्तान की सेना के अधिकारी मौजूद हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना से यह पता नहीं चलता है कि पिछले महीनों से पंजाब/कश्मीर में प्रशिक्षित आतंकवादियों के घुसपैठ की संख्या में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ हो ।

(ग) घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से भारत-पाक सीमा पर पंजाब में 356 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाई गई है और 382 कि. मीटर क्षेत्र में फ्लड लाइट लगाने का कार्य पूरा किया गया है और राजस्थान में 58.8 कि. मीटर बाड़ लगाई गई है और 61.18 कि० मीटर में फ्लड लाइट लगाने का कार्य पूरा किया गया है । बाड़ लगाने और फ्लड लाइट लगाने के कार्य के अलावा, सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पर चौकसी कड़ी करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए हैं :

(1) पंजाब कार्रवाई योजना और सी.सु;बल विस्तार योजना 1986-91 के अन्तर्गत अतिरिक्त सी० सु बल बटालियनें तैनात करके सीमा चौकियों के बीच दूरी कम की गई है ।

(2) गश्त/नाकाओं की संख्या बढ़ाई गई है ।

(3) बेहतर पर्यवेक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है ।

(4) सीमा पर कड़ी चौकसी रखने के लिए और बेहतर पर्यवेक्षण के लिए सीमा पर तैनात टुकड़ियों को नाइट